

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक C/4371 /
चार-12-12/2010


जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर, 2019

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, - - - - - (म०प्र०)
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, - - - - - (म०प्र०)
3. विशेष न्यायाधीश, - - - - - (म०प्र०)
4. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
5. संचालक/अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, प्रथम तल, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
7. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
8. सहायक (यात्रा भत्ता), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर

विषय : स्थानांतरण यात्रा भत्ता देयक के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में यथानिर्देशित अनुरोध है कि स्थानांतरण पर न्यायिक अधिकारीगण द्वारा स्वयं की कार से यात्रा करने पर कार के परिदहन व्यय के भुगतान हेतु म.प्र. यात्रा भत्ता के पूरक नियम 81 की टिप्पणी-2 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि "शासकीय सेवक द्वारा कार रखा जाना लोकहित में है।", आवश्यक नहीं है।


17.9.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)


17/9